(19)

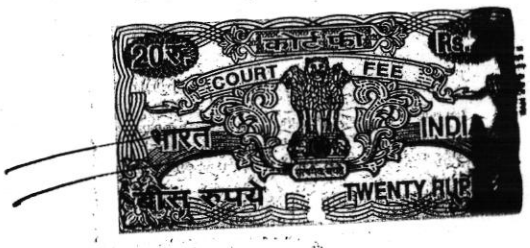

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0 प्र0)

सन् 2014

प्रकरण क्र0 R-2904-III/14

1) मंगल सिंह तनय श्री रामाधार सिंह
2) हाकिम सिंह तनय श्री सुन्दर सिंह
3) बुद्ध सिंह उर्फ राधेश्याम सिंह तनय श्री चंदन सिंह
4) अमर सिंह उर्फ खिलाड़ी सिंह तनय श्री चंदन सिंह
5) सुमितरानी वेवा चन्द्रपाल सिंह

निवासीगण ग्राम – बछौन , तहसील– चंदला
जिला – छतरपुर म0प्र0 ....आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

1) विद्याधर तनय श्री मातादीन मिश्रा
2) शिवशंकर तनय श्री जयराम सिंह
3) श्रीपाल तनय श्री जयराम सिंह

निवासीगण ग्राम – बछौन , तहसील– चंदला
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

दिनांक 4.9.14 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
4.9.14

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र बछौन तहसील चंदला के राजस्व प्रकरण क्र0 18/अ–03/2011–12 आदेश दिनांक 04.09.2012 से दुखी होकर पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करते है :–

(अ) यह कि ग्राम बछौन तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 स्थित भूमि खसरा नं0 296, 299, 306, 307, 308, 309 कुल किता 06 आवेदकगण एवं अनावेदकगण के शामिल खाते की भूमि थी जिसका पूर्व में आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य विभाजन हो गया था तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौका पर अपने–अपने हिस्से पर कब्जा कर कृषि कार्य कर रहे है।

Shrivastav 4/9/2014

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2904-तीन/2014 जिला छतरपुर मंगलसिंह विरूद्ध विद्याधर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के तर्क सुने गये । 3. यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र बछौन तहसीलद चंदला के राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4. निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 04-09-2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 5. अधिसूचना क्रमांक 2543-6408-सात-ना-1 दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र 30-8-68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गई है । ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है । 6. संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि- " 44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी - a) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो,	

(1)

(2)

चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हो, उपखण्डीय पदाधिकारी को, _____"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अंतर्गत अपील हो सकती है । संहिता की धारा 46 में यह प्रावधान है कि -

" 46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी- किसी भी ऐसे आदेश की -

a) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1908 (1908 का सं.9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है, या
b) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है, या
c) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक(स्टे) के लिये हो, मंजूर या नामंजूर किया गया है, या
d) जो अंतरिम स्वरूप का है, या
e) जो धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित है,

इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"

नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-09-2012 संहिता की धारा 70 के अंतर्गत पारित कर नक्शा तरमीम के आदेश दिये है । नायब तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है, इस कारण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते । इस कारण नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत अपील योग्य है । अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदनपत्र ग्राह्य नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है ।

सदस्य 6.9.2018